

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 16, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-बी-1-38-2019-2-पांच (23)

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2019

मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-38-2019-2-पांच-(22) दिनांक 27.11.2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 28.11.2019 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड (दो) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि "धार्मिक पर्यटन क्षेत्र-मैहर एवं चित्रकूट" विलोपित की जाए (जो रिसोर्ट बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल. -3-क) के प्रदाय से संबंधित है)

2. यह अधिसूचना दिनांक 28.11.2019 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2019

क्रमांक बी-38-2019-2-पांच (23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-38-2019-2-पांच (23), दिनांक 2 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

No. F- B-1-38-2019-2-V (23)

Bhopal, the 2nd December 2019

In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-rule(1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign liquor Rules, 1996, the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-B-1-38-2019-2-V-(22) dated 27th November, 2019 published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 28th November, 2019, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification, clause (ii) and entry relating to "Religious Tourist area-Maihar and Chitrakoot" shall be omitted [which is related to grant of resort Bar License (F.L-3-A)].

2. This notification shall be deemed to have come into force from 28.11.2019

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy.Secy.